(29) 03-08-18

(258)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0
वैशाली (हाजीपुर)

कार्यालय आदेश

मुख्य परिवहन सह हथालन अभिकर्ता श्री रधुनाथ राय के विरूद्ध खाद्यान्न लोड ट्रकों से खाद्यान्न चोरी के आरोप में हाजीपुर थाना में प्राथमिकी संख्या 383/18 दर्ज होने के कारण उनका एकरारनामा तत्कालीक प्रभाव से रद्द करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया था, जबाब प्राप्त होते ही निगम के परिवहन नीति 2018 के आलोक में जिला परिवहन समिति, वैशाली की बैठक दिनांक 25.07.18 को आहुत कर एकरारनामा के शर्तों एवं श्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जवाब के आलोक में तथ्यात्मक विशलेषण किया गया। विशलेषण के कम में काण्ड संख्या 383/18 में जिला एवं शत्र न्यायाधीश वैशाली द्वारा दिनांक 29.06.18 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया।

अतंतः सभी तथ्यों पर विमर्शोपरान्त समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री रधुनाथ राय मुख्य परिवहन सह हथालन अभिकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज किया जाय।

आदेशानुसार श्री रधुनाथ राय मुख्य परिवहन सह हथालन अभिकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज किया जाता है। तथा इनके एकरारनामा के समय दिये गये बैंक गारंटी एवं अग्रधन की राशि जब्त करने का आदेश दिया जाता है।

30/7/18

जिला प्रबंधक
वैशाली

ज्ञापांकः- 3033 दिनांकः- 30/07/18

प्रतिलिपिः- श्री रधुनाथ राय मुख्य परिवहन सह हथालन अभिकर्ता को जिला परिवहन समिति वैशाली की दिनांक 25.07.18 की बैठक की कार्यवाही की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी सहायक लेखा पदाधिकारी वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ।

प्रतिलिपिः- सभी मुख्य एवं डी0एस0डी0 परिवहन अभिकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी सहायक प्रबंधक/उठाव प्रभारी अपर जिला प्रबंधक वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- महाप्रबंधक परिवहन, निगम मुख्यालय, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः- प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक : जिला परिवहन समिति की अनुशंसा की छाया प्रति।

30/7/18

जिला प्रबंधक
वैशाली

(257)

जिला परिवहन समिति वैशाली की बैठक (दिनांक 25.07.18) की कार्यवाही।

पूर्व से निर्धारित तिथि 17.07.18 की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई थी। अतः आज दिनांक 25.07.18 को जिला परिवहन समिति वैशाली की बैठक, जिला पदाधिकारी, वैशाली की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में सभी सदस्य उपस्थित हुए जिनका हस्ताक्षर पंजी में अंकित है। बैठक में जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, वैशाली द्वारा जिला परिवहन समिति को अवगत कराया गया कि श्री रघुनाथ राय मुख्य परिवहन अभिकर्ता के विरूद्ध हाजीपुर सदर थाना में काण्ड संख्या 383/18 दिनांक 16.06.18 को दर्ज हुआ है, जिसमें अपराधिक षडयंत्र कर ट्रकों के चालकों एवं सह चालकों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से अनुदानित खाद्यान्न का विचलन करने का आरोप है। इस तरह के आरोप में नयी परिवहन नीति 2018 में निहित प्रवधान के तहत परिवहन अभिकर्ता को कालीसूची में नाम दर्ज करने के प्रवधानों से समिति को अवगत कराया गया। समिति के समक्ष परिवहन नीति 2018 प्रबंध निदेशक के ज्ञापांक 2648 दिनांक 16.03.18 के कंडिका 3 के विन्दु (iii) के प्रवधानों को प्रस्तुत किया गया। जिसका मुख्य अंश ''परिवहन अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं एकरारनामा को रद्द किया जाना, परिवहन अभिकर्ताओं को काली सूची में दर्ज किया जाना, इत्यादि कार्य जिला प्रबंधक द्वारा जिला परिवहन समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।'' अंकित है।

पुनः जिला प्रबंधक द्वारा उप महाप्रबंधक परिवहन, निगम मुख्यालय, पटना का पत्रांक 7308 दिनांक 18.07.18 द्वारा दिये गये निदेश भी समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परिवहन नीति 2018 में निहित प्रवधान के तहत ''परिवहन अभिकर्ता को कालीसूची में नाम दर्ज करने हेतु सकारण आदेश पारित करने हेतु सम्बन्धित जिला के जिला प्रबंधक समक्ष प्राधिकार है।''

पुनः जिला परिवहन समिति के समक्ष जिला प्रबंधक द्वारा सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सह प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम का दिनांक 11.07.18 का निरीक्षण प्रतिवेदन उनका ज्ञापांक 3473 दिनांक 20.07.18 प्रस्तुत किया गया, जिसके दूसरे कंडिका में अंकित है कि ''जिला प्रबंधक वैशाली द्वारा बतलाया गया कि एक ट्रान्सपोर्टर रघुनाथ राय के जॉच में कम अनाज पाये जाने के कारण प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, वैशाली को हिदायत दी गयी कि जिला परिवहन समिति की बैठक अविलम्ब बुलाकर उसके एकरारनामा रद्द कर उक्त ट्रान्सपोर्टर को काली सूची में डाल दिया जाय।''

पुनः जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा समिति के समक्ष यह तथ्य लाया गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन करते हुए तत्कालीन पूर्व मुख्य परिवहन अभिकर्ता से जिला प्रबंधक के पत्रांक 2560 दिनांक 23.06.18 द्वारा काली सूची में नाम दर्ज की कार्रवाई करने के पूर्व स्पष्टीकरण पूछा गया है कि– ''भारतीय खाद्य निगम गोदामों से खाद्यान्न उठाव कर ढुलाई के क्रम में आपके ट्रकों से खाद्यान्न की चोरी करने की सूचना पर हरिहरपुर गोदाम के सहायक प्रबंधक द्वारा दिनांक 15.06.18 को आपके ग्यारह ट्रकों को धर्मकांटा पर तौल कराकर खाद्यान्न प्राप्त किया गया। तौल में 7 (सात) ट्रकों पर समान्य से अधिक क्षति पाई गई। खाद्यान्न क्षति के आरोप में आपके विरूद्ध हाजीपुर सदर थाना में प्राथमिकी संख्या 383/18 दर्ज कराई गई है। अतः अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि एकरारनामें की शर्त्तो के विरूद्ध ट्रकों पर लोड सरकारी खाद्यान्न की चोरी की गई है जो तौल में पाई गई क्षति से स्पष्ट है। इस कृत्य के लिए आपका नाम क्यों नहीं अगले पॉच वर्षो के लिए काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाय।''

उक्त के आलोक में परिवहन अभिकर्ता श्री रघुनाथ राय द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर में कहा गया है कि ''दिनांक 15.06.18 को अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर द्वारा सभी ट्रकों को वजन कराने का आदेश दिया गया। स्वयं सभी ट्रकों का वजन प्रभावती

25/7/18

256

देवी धर्मकांटा पर कराया गया जो धर्मकांटा अभी नया है। इसे लाइसेन्स भी प्राप्त नहीं है, जिसमें कुछ गाड़ी पर वजन सही पाया गया कुछ पर अधिक पाया गया एवं कुछ में कमी पाई गयी है दुबारा तौल अनुबन्धित कांटा पर कराने से वजन में भिन्नता पाई गयी है फिर भी मैं एकरारनामा के शर्त्तो के हिसाब से वजन में आयी कमी की क्षति पुर्त्ति करने को तैयार हूँ।''

समिति द्वारा स्पष्टीकरण के तथ्यों का अवलोकन एवं विशलेषण किया गया। तत्कालीन परिवहन अभिकर्ता श्री रघुनाथ राय द्वारा मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि खाद्यान्न तौलने के क्रम में कमी आई है जिसमें निगम के प्रवधान के हिसाब वे क्षतिपूर्त्ति करने के लिए तैयार है।

प्रभावती देवी धर्मकांटा का जॉच किया गया, प्रभावती देवी धर्मकांटा के द्वारा विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक का सत्यापन प्रमाण पत्र No-360070/ New-244/18 समर्पित किया गया। अतः धर्मकांटा का लाइसेन्स नहीं है, अथवा धर्मकांटा त्रुटिपूर्ण होने की तत्कालीक परिवहन अभिकर्ता की दलील में तर्कपूर्ण सत्यता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

पुनः माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हाजीपुर द्वारा काण्ड संख्या 383/18 की सुनवाई की प्रति जिला प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29.06.18 को पारित आदेश जो इस प्रकार है-

Heard the submission of both the counsels, as between the parties there is a contract and under the contract the authority/department has right to take step for recovery of five time amount of the shortage of the food grains and may take step for the black listed the person or firm ete. etc. So, considering this aspect the petitioner is directed to be enlarged on anticipatory bail in the event of his arrest or surrender in the learned court below within a month from the date of this order on his furnishing bail bond of Rs. 10,000/- with two suretie each of the like amount to the satisfaction of the learned court below subject to the condition as laid down u/s 430(2) CR.P.C. with direction that he will appear before the authority with his repersentation which he wants to place and he may pass order as per agreement dated 29-11-16., के आलोक में परिवहन अभिकर्ता के अधियाचना पर तौल में पाई गई खाद्यान्न की मात्रा में कमी का मूल्य जमा करने का आदेश जिला प्रबंधक द्वारा दिया गया जो पूर्व परिवहन अभिकर्ता द्वारा निगम में जमा करा दिया गया है। /पारित आदेश में स्पष्ट है कि क्षति की वसूली के साथ कालीसूची में नाम दर्ज करने की कार्रवाई पदाधिकारी/विभाग द्वारा की जा सकती है।

प्राप्त स्पष्टीकरण एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विशलेषण से जिला परिवहन समिति सर्व सम्मति से इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि परिवहन अभिकर्ता श्री रघुनाथ राय द्वारा स्वंय भी यह स्वीकार किया गया है कि वे क्षतिपूर्त्ति करने को तैयार है। तथा क्षतिपूर्त्ति की राशि जमा भी कर दिये है, यह उनके द्वारा अपराध को स्वीकार करने को संपुष्ट ही करता है।

अतः सभी तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त विभागीय निदेशों एवं परिवहन नीति 2018 के अनुरूप श्री रघुनाथ राय पूर्व मुख्य परिवहन अभिकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने के प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुशंसा/अनुमोदित करते हुए जिला प्रबंधक को आदेश निर्गत करने हेतु आदेश दिया जाता है।

जिला प्रबंधक	जिला परिवहन पदाधिकारी	अपर समाहर्त्ता	उप विकास आयुक्त	जिला पदाधिकारी
राज्य खाद्य निगम	वैशाली	वैशाली	वैशाली	अध्यक्ष
सदस्य सचिव	सदस्य	सदस्य	उपाध्यक्ष	जिला परिवहन समिति
जेला परिवहन समिति	जिला परिवहन समिति	जिला परिवहन समिति	जिला परिवहन समिति	